न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 6 / 2023

1. गोपाल पुत्र रघुवीर
2. प्रभुदयाल पुत्र धर्मवीर
3. भरतवीर पुत्र धर्मवीर
4. राजेन्द्रकुमार पुत्र धर्मवीर
5. सत्यनारायण पुत्र रघुवीर सभी जाति दमामी निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र श्री गोदू जाति रेगर
2. कानी पत्नी श्री राजू जाति रेगर
3. छोटू पुत्र श्रवण जाति रेगर
4. रामलाल पुत्र श्री गोकुल कुम्हार
5. भैरूलाल पुत्र श्री घीसू कुम्हार
6. श्रीमति शांति पत्नी श्री चन्दा जाति मेवाड़ा(विलोपित)

   सभी निवासीगण ग्राम देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम — निर्णय दिनांक:–31.01.2023

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री शिवकुमार जोशी

2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा देवलियांकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकला के खाता सं0 442 मे दर्ज खसरा नं. 4190 रकबा 0.28 और खसरा नं. 4191 रकबा 0.21 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.49 है0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 7 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली मे अप्रार्थी सं. 02 लगायत 05 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने के कारण पत्रावली मे अप्रार्थी सं0 02 लगायत 05 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 द्वारा पत्थरगढी बाबत् अनापत्ति प्रस्तुत की। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0सी0पी0 पेश कर अप्रार्थी संख्या 06 का नाम पत्रावली से विलोपित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया, उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 06 का नाम पत्रावली से विलोपित किया गया। पत्रावली मे पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण मे राजहित प्रभावित ना होने की

उपखण्ड अधिकारी • भिनाय (केकड़ी) • सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम देवलियाकलां के खाता खंख्या 442 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयां की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा देवलियांकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 442 में दर्ज खसरा नं. 4190 रकबा 0.28 और खसरा नं. 4191 रकबा 0.21 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.49 हैं0** हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते